

11/02/25

सहायक कलेक्टर  
(800), वाइमेर

पत्रावली पेश हुई।  
अधिवक्ता वादीगण एवं वादीगण के नाम से  
अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज  
दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं था  
लिखाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी'  
व 'अदम हाजिरी' में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फैंसल शुमार होकर दायिल दफ्तर  
हो व नंबर से कम हो।

19/05/25

19.05.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में  
अधिवक्ता वादीगण एवं वादीगण के नाम से  
अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज  
दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि  
अधिवक्ता वादी एवं वादीगण अपने वाद  
को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिखाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी'  
व 'अदम हाजिरी' में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैंसल शुमार होकर दायिल दफ्तर  
हो व नंबर से कम हो।

19/05/25

सहायक कलेक्टर  
(800), वाइमेर

